सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	*RAJASTHAN GAZETTE* *Extraordinary*
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आषाढ़ 28 शुक्रवार, शाके 1941-जुलाई 19, 2019
Asadha 28, Friday, Saka 1941- July 19, 2019

भाग 3 (क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, 19 जुलाई, 2019

संख्या एफ.13(17)विशा/विस/2019 :-**राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019** जैसा कि दिनांक 19 जुलाई, 2019 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव ।

<u>**2019** का विधेयक **सं. 17**</u>

राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

राजस्थान बीज तथा पौध अधिनियम, 1960 को निरसित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1960 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 का निरसन.- राजस्थान बीज तथा पौध अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम सं. 23) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान के किसानों को शुद्ध और प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए, राजस्थान बीज तथा पौध अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम सं. 23) अधिनियमित किया गया था और राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4-क में दिनांक 21 जुलाई, 1960 को प्रकाशित किया गया था। किन्तु राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रारम्भ के लिए धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन राजपत्र में कोई अधिसूचना जारी नहीं की।

इसके पश्चात्, विक्रय के लिए बीजों की क्वालिटी के विनियमन हेतु केन्द्रीय सरकार ने बीज अधिनियम, 1966 (1966 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 54) अधिनियमित किया और उसके अधीन बीज नियम, 1968 बनाये गये। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने सभी प्रकार के बीजों के विक्रय और व्यापार को विनियमित करने के लिए बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 जारी किया।

चूंकि केन्द्रीय विधायन में राजस्थान बीज तथा पौध अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम सं. 23) की विषय-वस्तु को सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए यह अधिनियम बेकार हो गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित है कि राजस्थान बीज तथा पौध अधिनियम, 1960 को निरसित किया जाये।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

लालचन्द कटारिया,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान बीज तथा पौध अधिनियम, 1960 को निरसित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No. 17 of 2019

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN SEEDS AND SEEDLINGS (REPEAL) BILL, 2019

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to repeal the Rajasthan Seeds and Seedlings Act, 1960.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Seeds and Seedlings (Repeal) Act, 2019.

(2) It shall come into force at once.

2. Repeal of Rajasthan Act No. 23 of 1960.- The Rajasthan Seeds and Seedlings Act, 1960 (Act No. 23 of 1960) is hereby repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To provide pure and certified seeds to the farmers of Rajasthan, the Rajasthan Seeds and Seedlings Act, 1960 (Act No. 23 of 1960) was enacted and published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV-A, dated July 21, 1960. But the State Government did not issue any gazette notification under sub-section (3) of section 1 for the commencement of the Act.

Later on, to regulate the quality of seeds for sale, the Central Government enacted the Seeds Act, 1966 (Central Act No. 54 of 1966) and framed thereunder the Seeds Rules, 1968. In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act No. 10 of 1955) the Central Government issued the Seeds (Control) Order, 1983 to regulate the sale and trade of all kinds of seeds.

Since the Central Legislation has covered the subject of the Rajasthan Seeds and Seedlings Act, 1960 (Act No. 23 of 1960) the Act has become obsolete. In view of this, it is proposed that the Rajasthan Seeds and Seedlings Act, 1960 be repealed.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

लालचन्द कटारिया,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to repeal the Rajasthan Seeds and Seedlings Act, 1960.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

Government Central Press, Jaipur.